तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.104/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
21.7.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी सुनील कुमार घांची पुत्र रामलाल घांची, जाति– घांची, निवासी– जीनगर वास, हनुमान मन्दिर के पास, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म श्रीराम दूध डेयरी, बसन्त बहार गली, मण्डार, तहसील व जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी रामाराम घांची पुत्र हीराराम घांची, जाति– घांची, निवासी– तीन रास्ता, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्रीराम दूध डेयरी, बसन्त बहार गली, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रमेशचन्द्र सैनी (हाल सेवानिवृत) द्वारा दिनांक 08.7.2022 को फर्म श्रीराम दूध डेयरी, बसन्त बहार गली, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सुनील कुमार घांची से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-1857 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1387/Act/2022/1380 दिनांक 15.7.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय में आज दिनांक 21.7.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादीगण के वकील को सुना गया। जिन्होंनें ये अनुरोध किया कि फर्म श्रीराम दूध डेयरी का मालिक प्रतिवादी रामाराम घांची है एवं प्रतिवादी सुनील कुमार घांची उसकी डेयरी में नौकरी करता है जो सेम्पलिंग की कार्यवाही के दौरान डेयरी में बतौर विक्रेता उपस्थित था। यह प्रतिवादीगण का प्रथम अपराध है। भविष्य में अमानक घी का विक्रय नही करेंगे। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री रमेशचन्द्र सैनी, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल सेवानिवृत) द्वारा दिनांक 08.7.2022 को फर्म श्रीराम दूध डेयरी, बसन्त बहार गली, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सुनील कुमार घांची से 800 ग्राम घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या ... की जांच हेतु खाद्य ....लगातार	रामाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.104/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1387/Act/2022/1380 दिनांक 15.7.2023 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि फर्म श्रीराम दूध डेयरी, बसन्त बहार गली, मण्डार में विक्रेता सुनील कुमार घांची ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि फर्म श्रीराम दूध डेयरी, बसन्त बहार गली, मण्डार का मालिक प्रतिवादी रामाराम घांची है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी के विक्रय हेतु प्रतिवादी रामाराम घांची पुत्र हीरा जी घांची, जाति– घांची, निवासी– तीन रास्ता, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्रीराम दूध डेयरी, बसन्त बहार गली, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 6,000/– (अक्षरे रुपये छः हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी रामाराम घांची को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 23.8.2023 को पेश हो।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:53 IST
Reason: SelfAttested